

Order Sheet [Contd]

Case No 309/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
04-09-2017	<p>आरोपी राजेश, रिकू एवं राजाराम अभिरक्षा गोहद जेल से पेश। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड से अप0क0 151/17 धारा 363, 366, 376(1)डी, 506 भा.द.वि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 की केश डायरी मय प्रतिवेदन के प्रस्तुत। आवेदक/आरोपी राजाराम की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पर आवेदक अधिवक्ता श्री के0पी0राठौर एवं श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक को सुना गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र होना व्यक्त करते हुए निवेदन किया है कि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है उसे फरियादिया की झूठी रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक वृद्ध है और उसके परिवार में पशुओं की देखरेख करने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है। अतः उसे उचित जमातन मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि प्रकरण में आवेदक राजाराम के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, किन्तु उसके उपरांत भी आवेदक को प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया है।</p> <p>केश डायरी का अवलोकन किया गया। फरियादिया द्वारा आवेदक/ अभियुक्त पर उसे बहलाफुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ शादी करने का बोलकर बलात्संग कारित करने का आरोप है। जहाँ तक अभियोक्त्री उमा वघेल के धारा 164 जा0फौ0 के अंतर्गत अभिलिखित कथनों का संबंध है अभियोक्त्री उमा वघेल ने आवेदक राजाराम के विरुद्ध कोई कथन नहीं किए है। प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर अभियोक्त्री के पिता गंगासिंह विशेष को धमकी देने संबंधी कथन किए है। प्रस्तुत</p>	

प्रतिवेदन में थाना प्रभारी ने अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध किन किन धाराओं के अंतर्गत अपराध बनता है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त पर सहआरोपी के साथ अभियोक्त्री का व्यपहरण करने व उसके साथ बलात्संग कारित करने में सहयोग करने का आरोप नहीं है।

अतः आवेदक/अभियुक्त पर लगाए गए आरोप के स्वरूप, प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से न्यायालय की संतुष्टि योग्य 25,000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

शर्त:-

1. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
2. साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।
3. जैसा अपराध किया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

पुलिस थाना मौ की ओर से चालान प्रस्तुत करने हेतु मौहलत चाही जो कि बाद विचार दी गई।

प्रकरण चालान प्रस्तुति हेतु दिनांक 11.09.17 को पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

ए0एस0जे0 गोहद